

BA Part - III

History

By - Dr. Durga Bhawani

8. उन परिस्थितियों को एवं कारणों का वर्णन करें जिनके नाम से पाकिस्तान की मांग की गई।

अथवा  
भारत-पाक विभाजन की परिस्थितियों का वर्णन करें।

सोड:- भारत विभाजन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत वर्ष अनेकालों में एकता का प्रतीक माना जाता है। अखिल भारतीय पैमाने पर पूरे राष्ट्र की एक राजनीतिक इकाई में विलयन का प्रयास सर्वप्रथम अंगरेजों के शासन साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संभव हो सका। अखिल में अंगरेजों ने हिन्दू-और मुसलमानों के बीच गैरभाव की नीति को जोर देकर नहीं दिया था किन्तु 1857 के विद्रोह के अन्तर्गत पर हिन्दू और मुसलमानों के गठजोड़ का देखकर कर ने आतंकित हो उठे और "फूट डालो और शासन करो" की नीति पर अटार आए। हिन्दुओं की उद्वेग और मुस्लिमों को संरक्षण देने के कारण साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला और हिन्दू तथा मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं का नारा मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। साम्प्रदायिक शक्तियों को उभार कर अंगरेजों में अन्ततः भारत का विभाजन किया जाए दो पृथक राष्ट्र का निर्माण करने में उन्हें सफलता मिली।

भारत विभाजन के निम्न लिखित महत्वपूर्ण कारण हैं:-

- 1) अंगरेजों की चाल-पाकिस्तान की मांग का एक प्रमुख कारण यह था कि अंगरेज शासक अपनी "फूट डालो और शासन करो" की नीति के द्वारा स्वाधीनता की भावना को दबा कर, हिन्दू-मुस्लिमों को आपस में लड़ कर, मुसलमानों को अपने पक्ष में मिलाकर अपना राज्य बचाए रखना चाहते थे। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों ने लीग और मुसलमानों को अपने पक्ष में मिलाकर प्रेरित कर दिया। इससे मुस्लिम ब्रिटिश परसत हो गए और अंगरेजों का अपना विचार

दिले बि सम्मने ली तथा अंगरेजों ने भी लीग की उचित - अनुचित माँगों को मान कर उन्हें अपने उभाव में बनाए रखा।

2) 1937 ई० के चुनाव में असफल एवं आतंकित - 1939 ई०

के चुनाव में जहाँ कांग्रेस ज्यादा स्थानों पर सफल रही वहीं लीग का कम सफलता मिली। फलतः लीग ने कांग्रेस के सहयोग से प्रांतों में सरकार बनाने की इच्छा जाहिर की परन्तु कांग्रेस ने लीग को अपने साथ लेने से इन्कार कर दिया। इससे जिन्ना और लीग के नेता निराश हो गए और उनमें यह भय भी व्याप्त हो गया कि हिन्दु बाहुल्य प्रांतों में कांग्रेसी सरकारों द्वारा मुसलमानों पर अत्याचार किया जाएगा। फलतः उनका स्वतः कांग्रेस - विरोधी होना गया। तबकथित जाँच समितियों द्वारा यह दिखाने की कोशिश की गयी कि कांग्रेस, जो हिन्दुओं की संस्था थी - मुसलमानों पर अत्याचार कर रही थी साथ ही यह भी बर्क दिया जाने लगा कि भारत में किसी भी प्रकार की संसदात्मक व्यवस्था में मुसलमान सदैव अल्पमत में रहेंगे और उनके हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए मुसलमानों के लिए एक देश - पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम दिलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था।

1930 ई० से ही विभाजन की योजनाएं पेश की जाने लगी। इन योजनाओं पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया जानने के लिए 1938 ई० में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें लीग की कार्यकारिणी के दो सदस्य भी थे। पैरिस टाइन सम्मेलन में भाग लेने के लिए भिज गए। उन लोगों ने इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उपसचिव से भारत - विभाजन की योजना पर वार्ता की और उनकी सहमति जानकर 1939 ई० में भारत लौटे। इससे जिन्ना का हौसला बढ़ा और 1940 ई० में उन्होंने "पाकिस्तान प्रस्ताव" पेश किया।

3) लीग की शक्ति में विकास - 1936-39 ई० के दौरान लीग की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। एक अनुमान के अनुसार 1929 ई० में इसकी सदस्य संख्या मात्र 1330 थी वहीं 1938 ई० यह तारकों में पहुँच गई। अक्टूबर 1944 ई० में यह संख्या करीब 54 लाख तक पहुँच गयी। अधिकांश मुसलमान लीग को ही अपना सच्चा राजनीतिक प्रतिनिधि समझने लगे। कांग्रेस में मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। बंगाल और पंजाब में उसकी सरकार भी थी। इस वृद्धि हुई शक्ति के आधार पर लीग में ऐसी ग़ाँगे रखनी शुरू की जिससे कांग्रेस स्वीकार करने की दिशा में नहीं थी। लीग ने दावा किया कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है और कांग्रेस सिर्फ हिन्दुओं की संस्था है। अक्टूबर 1938 ई० में जिन्ना ने माँग की - कि हिन्दु, मुस्लिम एकता कमेटी, जिसे कांग्रेस नियुक्त करना चाहती थी उसमें कोई भी मुसलमान नहीं हो। गाँधी जी जब अपने साथ अबुल कलाम आजाद को लेकर इस पक्ष पर जिन्ना से बात करने पहुँचे तो जिन्ना ने बात करने बूझ से इंकार कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस और लीग की आपसी कड़वा बढ़ती गई।

4) हिन्दू - साम्प्रदायिकता का विकास - मुस्लिम लीग को कट्टरपंथी बनाने में हिन्दू - साम्प्रदायिकता एवं हिन्दू 'महात्मा' का भी बहुमूल्य योगदान था। महात्मा की नीतियों और कार्यों ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी। हिन्दू महात्मा, आर्य-समाज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से हिन्दू साम्प्रदायिकता का प्रचार कर रही थी। इसने दावा किया कि - "भारत के मुसलमानों का मुख्य भाग हिन्दू चर्म से परिवर्तित लोगों का है।" इनके 'गृहकरण' की व्यवस्था की गई। जिससे वह पुनः हिन्दू चर्म में प्रविष्ट हो सकें। मुस्लिम लीग द्वारा दिए गए - "दो पृथक राष्ट्र" के सिद्धांत को हिन्दू महात्मा ने स्वीकार किया और जारा बुलंद किया "हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है।"

साम्प्रदायिक दंगों में इनने हिन्दुओं की रक्षा की। मुसलमानों द्वारा माँगे गए राजनीतिक अधिकारों का इनने विरोध किया। फलतः अल्पसंख्यक मुसलमानों में आतंक और घबराहट की भावना व्याप्त हो गई। वे समझने लगे कि भारत में उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती है अतः विभाजन की माँग जोर पकड़ने लगी।

5) काँग्रेस की नीतियाँ - काँग्रेस की नीतियाँ भी बहुत हद तक विभाजन की माँग के लिए अंतरदायी थी। इसकी कुल मूल नीतियों से मुसलमान हमेशा ही आशंकित रहते थे। काँग्रेस द्वारा मुसलमानों को अपने प्रभाव में लाने के प्रयास से लीग के नेताओं में घबराहट फैली। मुसलमानों को लीग की ओर आकृष्ट किए रहने के उद्देश्य से लीग के नेताओं ने पाकिस्तान की माँग को ही उपयुक्त समझा। इसके अतिरिक्त काँग्रेसी नेता अफसोस के साथ लीग की इस शंका को बाप देते थे कि काँग्रेस हिन्दुओं की संस्था है। स्वयं महात्मा गाँधी का रवैया हिंदुत्व का उट लिए होता था। 'युंग इण्डिया' में उन्होंने वेदों पर स्पष्ट बयान दिया था कि "मैं अपने को सनातनी हिन्दू मानता हूँ।" उन्होंने वेदों, वर्ण-व्यवस्था, जाति-रक्षा और मूर्ति पूजा में अपनी आस्था प्रकट की। काँग्रेस के अन्य नेता भी मुसलमान-विरोधी रवैया अपनाए हुए थे। गाँधी पर पटेल के प्रभाव से भी मुस्लिम लीग को शंका होती थी कि सभी काँग्रेसी हिन्दू-परस्त नीति अपना रहे हैं। 1940 ई. के बाद उसकी सभी माँगें इसी केन्द्र-बिन्दु बिन्दु के इर्द-बिर्द होती थी। अन्ततः उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिली।

6) अगरत प्रस्ताव और फ्रिडस मिशन - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और मिस्र राष्ट्रों की स्थिति नाजुक बन गई थी और भारतीयों का सहयोग इस युद्ध में आवश्यक था। अतः भारत में राजनीतिक वातावरण को शांत बनाए रखने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 ई. को वायसराय ने "अगरत प्रस्ताव" पेश किया।

इस प्रस्ताव में मुसलमानों के विशेष हित का ध्यान रखा गया। स्पष्ट तौर पर यह घोषणा की गई कि आल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी और यह के बाद संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित की जाएगी किन्तु कांग्रेस इस प्रस्ताव से खुश नहीं थी इसलिए उसने इसका विरोध किया। परन्तु मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार न किए जाने का बहाना बनाकर ऊपर से अपनी सहमति में जाहिर की परन्तु अन्दर से वह संतुष्ट थी। क्योंकि उसके हाथ में अब एक ऐसा हथियार आ गया था जिसके द्वारा वह अपनी मांगें पूरी करवा सकती थी। क्रिस्ट मिशन के कुछ प्रस्तावों से मुस्लिम-लीग प्रसन्न हुई परन्तु संविधान सभा निर्माण की प्रक्रिया से वह असंतुष्ट थी।

भारत छोड़ो आन्दोलन तथा बौरो और भांगों का नारा - सरकारी रवैयों से असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने अगस्त 1942 ई० में भारत छोड़ो का नारा अंगरेजों के खिलाफ बुरफ किया। इस अगस्त-क्रांति पर लीग की नीति प्रतिक्रियावादी थी। जिन्ना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस आंदोलन के द्वारा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है मुसलमानों को नहीं। इसलिए मुसलमानों को इसके अलावा रहने की सलाह दी गई। लीग इस आन्दोलन को तय्य नहीं इतना ही नहीं, दिसम्बर 1942 ई० में लार्ड लिनलिथगो ने जब भारत की एकता और अखण्डता बनाए रखने की बात कही तो लीग क्रोधित हो उठा। 1943 ई० में उस ने कश्मिरी अखिलेश्वर में अंगरेजों भारत छोड़ो नारे के जवाब में अंगरेजों बौरो और भांगों का नारा बुरफ किया। लीग चाहती थी कि अंगरेज भारत का कंट्रोल करे, पाकिस्तान लीग को सौंप कर यहाँ से चले जाएं। उसने भारतीय स्वतंत्रता बनाए रखने वाले संविधान को लागू करने का विरोध करने के लिए समितियाँ बनाई।